छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
-:: मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ::-

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-13/2020/तक.शि./42, **दिनांक 16.07.2021**

''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार, एतद् द्वारा, सहायता न पाने वाली निजी तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाती हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम :** ये नियम ''छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों हेतु प्रवेश नियम 2021'' कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है ।

2. **प्रयोजनीयता:** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय से अनुमोदित/संबद्ध/संघटक एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त तकनीकी संस्थाओं तथा इन संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगें । यही नियम तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय संस्थाओं, स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं तथा शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

3 **परिभाषायें :-** इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

(1) **'प्रवर्ग'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग (ओ.बी.सी.) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) और जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता है, उसे अनारक्षित प्रवर्ग माना जायेगा ।

(2) **'व्यापम'** से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल', अटल नगर, रायपुर ।

(3) **'सक्षम प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

(4) **'प्राचार्य'** से अभिप्रेत है, संस्था प्रमुख अथवा संस्था का प्रभारी।

(5) **'छत्तीसगढ़'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।

(6) **'अभातशिप'** से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।

(7) **'संचालक'** से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।

(8) **'अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।

(9) **'वर्ग'** से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित वर्ग' और इनमें से जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।

(10) **'अल्पसंख्यक संस्था'** से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित तथा प्रशासित की गई हो एवं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की गई हो।

(11) **'निजी संस्था'** से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो ओर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(12) **'पी.ई.टी.'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।